



2026:AHC:33376

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2271/2026

कामिनी सिंघल

.....याची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी (गण)

याची के अधिवक्ता: संजय कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार श्रीवास्तव एवं राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याची की शिकायत यह है कि वह 31.12.2016 को बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई थी, तथापि, 56,866/- रुपये की राशि के चिकित्सा बिल का भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याची के दावे का प्रथम दृष्टया विपक्षी संख्या 3 द्वारा अधिनिर्णय (निस्तारण) किया जाना आवश्यक है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याची विपक्षी संख्या 3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। विपक्षी संख्या 3 उक्त आवेदन पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार सख्ती से याची के दावे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि विपक्षी संख्या 3 को यह ज्ञात होता है कि याची

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो याची को उचित सूचना देने के उपरांत दस्तावेज उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 16, 2026

एन. एस. राठौर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”